

Central Goods & Services Tax Act, 2017

Section 137 : Offences by companies

- (1) Where an offence committed by a person under this Act is a company, every person who, at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
- (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any negligence on the part of, any director, manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.
- (3) Where an offence under this Act has been committed by a taxable person being a partnership firm or a Limited Liability Partnership or a Hindu undivided family or a trust, the partner or *karta* or managing trustee shall be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly and the provisions of sub-section (2) shall, *mutatis mutandis*, apply to such persons.
- (4) Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he had exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

Explanation.—For the purposes of this section,—

- (i) “company” means a body corporate and includes a firm or other association of individuals; and
 - (ii) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm.
-

धारा 137 : कम्पनियों द्वारा अपराध

- (1) जहां कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी का भारसाधक और उस कंपनी के कारबार के संचालन के प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे।
- (2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कंपनी के किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी अपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा।
- (3) जहां इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध किसी कराधेय व्यक्ति, जो कोई भागीदारी फर्म या सीमित दायित्व भागीदारी या कोई हिन्दू अविभक्त कंटुंब या कोई न्यास है, के द्वारा किया जाता है, वहां भागीदार या कर्ता या प्रबंधक, न्यासी को उक्त अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के दोषी होंगे और ऐसे व्यक्तियों को उपधारा (2) के उपबंध आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।
- (4) इस धारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दंड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने, ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

स्पष्टीकरण : इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

- (i) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यष्टियों का अन्य संगम भी है; और
- (ii) फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।